# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

**अपील संख्या 1/2017 दायरा दिनांक : 17.04.2017**

**उनवान**

फिरोज पुत्र श्री इकबाल अहमद, जाति मुसलमान, आयु 37 वर्ष, निवासी रामद्वारा गली, मंगलपुरा, झालावाड

.... अपीलांट

**बनाम**

1— दिलीप मित्तल पुत्र श्री लालचन्द, मित्तल, जाति महाजन, निवासी धानमण्डी, बडा बाजार, झालावाड

2— राजकुमार काशवानी पुत्र श्री लालचन्द, जाति सिंधी, निवासी C/O कोठारी स्कूल के सामने, झालावाड

3— अब्दुल हकीम चौधरी पुत्र श्री बशीर (अध्यापक) जाति मुलसमान, निवासी रिलायंस पेट्रोल पम्प के सामने कोटा रोड, झालावाड

4— रमेश चन्द राठौर पुत्र श्री रतनलाल राठौर, जाति तेली, निवासी तांगा अड्डा के सामने, पुलिस लाईन रोड, झालावाड

5— पप्पू राठौर पुत्र श्री रतनलाल राठौर, जाति तेली, निवासी तांगा अड्डा के सामने, पुलिस लाईन रोड, झालावाड

6— डॉ0 अनिल व्यास पुत्र श्री नामालुम, जाति ब्राहमण, निवासी C/O श्री राम बुक डिपो के सामने, झालावाड

7— नरेश सुमन पुत्र श्री श्रीनाथ सुमन, जाति माली, निवासी मंगलपुरा रामद्वारा गली, झालावाड

8— तहसीलदार तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

9— आयुक्त नगर परिषद, झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सत्यवीर सिंह, श्री दिनेश सिंह, श्री राजेश लोधा
अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बी एल माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पोडेंट की
ओर से

**निर्णय** **दिनांक : 11.01.2018**

यह अवमानना प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर यह कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.03.2017 को खारिज किया गया था जिसकी अपील संख्या 49/2017 दिनांक 30.03.2017 को पेश की गई थी जिसमें विवादित आराजी में रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये थे । इसकी सूचना प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस एवं विवादित स्थान पर नोटिस चस्पा कर करवायी गयी थी । तहसीलदार झालरापाटन एवं नगर परिषद अधिशाषी अधिकारी को यह व्यक्तिगत रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा की जानकारी दी गई थी फिर भी विवादित स्थान पर रात दिन निर्माण कार्य किया जा रहा है और माननीय न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की जा रही है । अतः अप्रार्थीगण को दण्डित किया जाये ।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थना पत्र मिथ्या एवं अस्पष्ट है । अप्रार्थीगण न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं उन्होंने कभी भी न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं की है । मूल अपील भी खारिज हो चुकी है । अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये ।

पत्रावली में आयुक्त, नगर परिषद की ओर से भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और यह कथन किया गया है कि अप्रार्थी न तो वाद में पक्षकार है और न ही अपील में पक्षकार हे । अप्रार्थी ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये ।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने कुछ फोटोग्राफ और सी डी पेश किये हैं, कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण ने स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण कार्य किया है और न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है ।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया है कि अप्रार्थीगण ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की है और वर्तमान में अपील भी खारिज हो चुकी है ।

हमने उभय पक्षीय बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन में कोई गवाह पेश नहीं किये हैं जो फोटोग्राफ पेश किये गये हैं उनसे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि स्थगन के बाद निर्माण कार्य किया जा रहा है । इस प्रकार प्रार्थी अपने कथन को साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाये हैं । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मूल अपील का निस्तारण भी हो चुका है और वो खारिज हो चुका है ।

इन तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा